

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:- 24/10/16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2251 दिनांक-24.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत बेल्ट्रॉन के माध्यम से (रू. 66,779/- की दर से) कुल 53 कम्प्यूटर एवं अन्य एसेसरीज के क्रय हेतु कुल रू. 35,39,287/- (रू. पैतीस लाख उनचालीस हजार दो सौ सतासी) मात्र की राशि का आवंटन कार्यालय व्यय इकाई (13-01) से किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।
6. आवंटन संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
7. इस आवंटनादेश के आलोक में पूर्व में निर्गत आवंटनादेश संख्या-67 दि.-30.08.16 को रद्द माना जायेगा।

विश्वासभाजन,
24/10/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-304/16 श्र0सं0:- 9/

पटना, दिनांक 24/10/16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24/10/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-304/16 श्र0सं0:- 9/

पटना, दिनांक 24/10/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/10/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।